संख्या: 01 /2025/961जे0/22-5-2024-400(28)/2018

प्रेषक,

अभय कुमार त्रिपाठी ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 02 जनवरी, 2024

विषय- जिला कारागार, सुल्तानपुर में निरूद्ध रहे बंदी जैनुल आबदीन उर्फ अल्ताफ पुत्र श्री करविन उर्फ करीमुल्ला का कारागार प्रशासन द्वारा उपचार न कराए जाने के शिकायती प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा की गयी संस्तुति के अनुपालन में अंतरिम राहत के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-30660/मा0अनु0(5)/01/02/2014, दिनांक 14-10-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में मा0 आयोग की संस्तुति के अनुपालन में मुआवजा धनराशि का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष में पीड़ित बंदी की बहन को किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा जिला कारागार, सुल्तानपुर में निरूद्ध रहे बंदी जैनुल आबदीन उर्फ अल्ताफ पुत्र श्री करविन उर्फ करीमुल्ला द्वारा की गयी शिकायती प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस संख्या-45951/24/70/2013-जे0सी0डी0 दिनांक 25.11.2020 में की गयी संस्तुति के अनुपालन में पीड़ित बंदी/आश्रितो/निकटस्थ परिजनों को धनराशि रू0 2,00,000/- (रू० दो लाख मात्र) के मुआवजा भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि मुआवजे के समतुल्य धनराशि दोषी अधिकारियों/कार्मिकों से वसूल कर राजकोष में जमा की जायेगी।

3- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2024-2025 के आय व्यय के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रश्नगत केस में पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

5- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो, वहॉ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

6- उक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यथाशीघ्र पीड़ित बंदी/आश्रितो/निकटस्थ परिजनों को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-36/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 01/2025/961जे0(1)/22-5-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक निबन्धक (विधि), मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी-ब्लाक, जी0पीओ0 काम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली -110023 ।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- जिलाधिकारी, सुल्तानपुर ।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, सुल्तानपुर को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान पीड़ित बंदी/आश्रितो/निकटस्थ परिजनों को तत्काल कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 आयोग/शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- उप महानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में अंश निर्धारण के सम्बन्ध में तत्काल अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

6- कोषाधिकारी, सुल्तानपुर ।

7- अनुसचिव, गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूली किये जाने हेतु प्रेषित।

9- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

10- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ।

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।